

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

C.M. - 67/2018

1. हरदीपसिंह पुत्र कौरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी।
2. गुरमीतसिंह पुत्र कौरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी।
वादीगण

बनाम्

1. कौरसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी।
2. छिन्द्रपाल कौर उर्फ मनप्रीतकौर पत्नी गुरजण्टसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मिर्जेवाला तहसील तवंडी जिला बठिण्डा।
3. वीरपाल कौर उर्फ जसप्रीतकौर पत्नी बलराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी फतेवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. कमलदीप कौर पत्नी फलोरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 36 एसएलडबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय कुमार वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं०. 13 जीजीआर के प०न० 190/285 मु० 96 किलानं० 24/.171, 25/.171, प०न० 190/286 मु० 104 किलानं० 5/1/.126, 5/2/.127, 6/.063, 7/.063, 4/.253, का वादीसं० 1 हरदीपसिंह को तथा चकनं० 13 जीजीआर के प०न० 190/285 मु० 96 किलानं० 21 ता 23/.759, 24/.082 हैं० उत्तरी दिशा, 25/ .082 उत्तरी दिशा का वादी सं० 2 गुरमीतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार भूमि का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने तथा चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 32/17 व इसी चक के खाता सं० 145/125 से प्रतिवादीसं० 1 कौरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 14.9.18
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्ताख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....14.9.18.....को
जारी किया गया।



(उम्मेद असिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी